प्रकरण संख्या 05/2019 RCMS ID-2019/00145 तारीख रजु–14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

भरतलाल पुत्र गिर्राज मीना, निवासी कंवरपुरा थाना बालघाट – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–11.11.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री भरतलाल पुत्र गिर्राज मीना, निवासी कंवरपुरा थाना बालघाट जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 जिसके द्वारा श्री मीना का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 476/17 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 13.07.2018 को निर्णय पारित करते हुये श्री मीनाकी अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री मीना को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री मीना को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया जिसमें जबाव प्रस्तुत कर अपने कथन में अपने आप को शस्त्र जमा कराने की अखबारों से सूचना प्राप्त नही होना एवं ग्रामीण प्रवेश का व्यक्ति होने पर अखबार नही पढता हूं, ना ही मुझे शस्त्र जमा कराने का नोटिस मिला है मेरे द्वारा समय पर रिन्यूअल फीस जमा कराकर शस्त्र समय पर रिन्यूअल कराया गया है। मेरा शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे।

बहस के दौरान श्री मीना ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि शस्त्र को संबंधित थाने में जमा कराये जाने के समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्देशों की जानकारी नहीं रही है और मुझे व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। शस्त्र जमा कराने की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण शस्त्र को जमा नहीं करवा पाया साथ स्वयं को ग्रामीण परिवेश का होने के कारण समाचार पत्र द्वारा शस्त्र को समय पर जमा नही करवाने की जानकारी के कारण शस्त्र थाने में समय पर जमा नही करवा पाया। अंत में मेरे शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को मध्येनजर रखते हुए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। श्री मीना द्वारा सूचना के उपरान्त शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस अधीक्षक, करौली की अभिशंषा पर इनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखा जाने का कथन किया है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। पंचायत आम चुनाव 2015 के समय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने मे जमा कराने के आदेश पारित किये जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। श्री मीना द्वारा समय पर शस्त्र जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर दिनांक 04.02.2015 को श्री मीना का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करवाई जा सकती थी और ना ही व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। श्री मीना द्वारा तय समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराया गया था। जहां पर श्री मीना का दौराने बहस एवं जबाव कथन में यह था कि मै ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूं अखबार नही पढता हूं। वहां पर यह है कि ग्राम पंचायत के चुनाव ग्रामीण परिवेश में ही होते है जिसका ज्ञान प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को होता है साथ ही ये चुनाव प्रति 5 वर्ष में होते रहते है। प्रार्थी का लाइसेंस सन् 1971 का है जिसे शस्त्र थाने में जमा कराने भली–भांति जानकारी थी। अपीलाण्ट अपने आप को साबित करने में नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में हम श्री मीना का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री भरतलाल पुत्र गिर्राज मीना, निवासी कंवरपुरा थाना बालघाट जिला करौली का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 30/71 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11..2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: